नाम मय इनीशियल्स जज

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.3.2020	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 अनवान अदिति चौधरी वनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं. 135/2 रकबा 14 बीघा ग्राम मोगड़ा कला पटवार हल्का मोगड़ा कला प्रार्थीनी की सहखातेदारी कृषि भूमि हैं उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीनी के पिता रविन्द्रसिंह चौधरी की क्रयसुदा भूमि हैं। उस समय प्रार्थीया नाबालिग थी तथा घर में लाड प्यार से पुकारे जाने वाला नाम सोनू के नाम प्रार्थीया के पिता द्वारा क्रय कर नाम करवाई गयी। इसी आधार पर उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम सोनू दर्ज होकर चला आ रहा हैं। जो प्रार्थीया का लाड प्यार से पुकारा जाने वाला नाम हैं जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम अदिति चौधरी हैं तथा तमाम दस्तावेज भी अदिति चौधरी पुत्री रविन्द्रसिंह चौधरी के नाम से बने हुए हैं। सोनू अशुद्ध हैं जो शुद्ध किया जाकर अदिति चौधरी किये जाने का निवेदन किया हैं। जिसके साथ प्रार्थीया ने आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बख्शीशनामा दिनांक 26.06.2019 की प्रति पेश की साथ ही स्वयं का तथा माता मधु चौधरी का शपथ पत्र पेश किया जो प्रार्थीया के कथनो की ताईद करते हैं। तहसीलदार लूणी ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम क्रय दस्तावेज अनुसार सहखातेदार दर्ज हुआ जिसमें किसी लिपिकीय त्रुटि या रेकर्ड संधारण से त्रुटि नहीं हैं। उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकृत फरमावें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम क्रय सुदा दस्तावेज से सहखातेदार दर्ज हुआ उस दौरान प्रार्थीया नाबालिग थी। स्वयं प्रार्थीया का शपथ पत्र, माता का शपथ पत्र पेश कर सोनू एवं अदिति चौधरी एक ही महिला का होना तथा वास्तविक नाम अदिति चौधरी होने के कथन किए हैं प्रथम दृष्टया जिससे भी स्पष्ट हैं कि सोनू एवं अदिति चौधरी एक ही महिला के नाम हैं तथा राजस्व रेकर्ड को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीया का प्रार्थनाा पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नं. 135/2 रकबा 14 बीघा ग्राम मोगड़ा कला पटवार हल्का मोगड़ा कला में दर्ज सहखातेदार सोनू के स्थान पर अदिति चौधरी उर्फ सोनू किया जाकर प्रार्थीया के नाबालिग से बालिग दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।	

17/3/20

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner